

639

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:-एफ. 3(146)न.वि.वि./3/2011

दिनांक:- 21 SEI- 2011

आदेश

राज्य सरकार जन सुरक्षा एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 45, 282 व 337 राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 104-ए, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 90 व जोधपुर विकास प्राधिकरण की धारा 85 संपठित राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमे निष्पादन) नियम, 1974 व राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए नगरीय क्षेत्रों में स्थापित/स्थापित किए जाने वाले गैस गोदामों को स्थानान्तरित करने/भूमि आवंटन के संबंध में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान करती है :-

- (1) नगर पालिका सीमाओं एवं विकास प्राधिकरण/न्यास के आबादी क्षेत्र में ऐसे गैस गोदाम जो ज्वलनशील गैस के निमित्त हो, की स्थापना के लिए नई अनुमति प्रदान नहीं की जाए और इस संबंध में यदि किसी प्राधिकारी (Authority) द्वारा ऐसे क्षेत्रों में गैस गोदाम स्थापित करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी मांगी जाये तो वह प्रदान नहीं की जाए।
- (2) गैस गोदामों के लिए शहरी आबादी में निर्माण की अनुमति नहीं देने के साथ-साथ घनी आबादी में जो गैस गोदाम स्थापित हो गये हैं उन्हें भी जनहित में घनी आबादी से अन्यत्र स्थानान्तरित (Shift) करवाने के संबंध में कार्यवाही

- (3) शहरी आबादी के मध्य ऐसे गोदामों को स्थापित करने की दृष्टि से निकास द्वारा राज्य सरकार को अनुशंसा प्रेषित नहीं की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मुख्यमंत्री सिंह साहू)
प्रमुख राक्षस समिति

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
4. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
10. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
11. सभी संभागीय आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त जिला कलेक्टर।
13. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)
15. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग (सभी स्थानीय निकायों को प्रेषित करने हेतु)
16. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
17. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

19. रचित पत्रावली।

शासन उप सचिव-तृतीय